

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासीय विभाग, राज., जयपुर (हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर)

क्रमांक :- ओ.एस.डी./नविवि/16/875

दिनांक :- 12.8.16

:- अवार्ड :-

विषय :- केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 सपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा में कुल रकबा 180-16 बीघा का अवार्ड जारी करने बाबत।

संदर्भ :- अधिसूचना क्रमांक प.7(55)नविवि/III/06 जयपुर दिनांक 22.03.2011

राजस्थान आवासन मण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की अधिसूचना ग्राम बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा में कुल रकबा 180-16 बीघा के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.03.2011 को जारी की गयी जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया। उक्त अधिसूचना का दिनांक 28.03.2011 को राजस्थान राज-पत्र के विशेषांक में प्रकाशन कराया गया। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समाचार पत्रों "दैनिक भास्कर" व "दैनिक नवज्योति" उदयपुर संस्करण में दिनांक 10.05.2011 को प्रकाशन करवाया गया। सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस दिनांक 20.09.2011 सम्बन्धित को जारी कर जरिए आवासीय अभियन्ता तामील करवाए गये जिनकी अन्तिम तामीली की दिनांक 21.10.2011 अंकित की गयी है। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम प्रकाशन की तिथि 21.10.2011 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में धारा 4(1) के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण कर राज्य सरकार को धारा 5ए के तहत मौका रिपोर्ट दिनांक 04.10.2012 को प्रेषित की गई जिसमें सम्पूर्ण भूमि कुल रकबा 180-16 बीघा की धारा 6 की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया। राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 12.10.2012 को कुल रकबा 180-16 बीघा की जारी की गयी थी। अधिसूचना का राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में दिनांक 15.10.2012 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों "दैनिक भास्कर" उदयपुर व "राजस्थान पत्रिका" बांसवाड़ा संस्करण में दिनांक 18.12.2012 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 01.03.2013 व 20.05.2014 को जारी कर जरिए आवासीय अभियन्ता तामील करवाये गये जिसके अनुसार अन्तिम तामीली की दिनांक 27.08.2014 अंकित की गई। अवाप्ति प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस दिनांक 21.07.2014 एवं धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 22.12.2014 को जारी कर जरिए आवासीय अभियन्ता तामील करवाये गये जिसमें खातेदारों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के क्रम में विकसित भूखण्ड लेने का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बाबत सूचित किया गया। धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस के क्रम में खसरा नं. 1472, 1509, 1503/2, 1504/2, 1491, 1493, 1477/01,

1481, 1495, 1496, 1465, 1469, 1470, 1471, 1444, 1450, 1483, 1501, 1502, 1497, 1442, 1473, 1512, 1519, 1520, 1522, 1438, 1431, 2631/1511, 2624, 1671, 1510, 1673/02,

1477, 1675/02, 1676, 2976/1677, 1542, 1484, 1485, 3408/1469, 3407/1465, 2945/1675, 1466, 1449, 1560/3037 के खातेदार/हितधारियों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया की कि प्रार्थियों को 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आवंटित किया जावे। मण्डल को पत्र दिनांक 28.06.2016 द्वारा खातेदारों से प्राप्त 25 प्रतिशत विकसित भूमि के प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार मण्डल द्वारा गठित समिति की अनुशंसा भिजवाने हेतु सूचित किया, प्रत्युत्तर में राजस्थान आवासन मण्डल से आज दिनांक तक सहमति/असहमति प्राप्त होना बकाया है। चूंकि प्रकरण में 27.08.2016 से पूर्व अवार्ड राज्य सरकार से अनुमोदन करवाया जाना वैधानिक आवश्यकता होने के कारण नकद मुआवजा निर्धारण किया जा रहा है।

भूमि का विवरण धारा 6 की अधिसूचना के अनुसार निम्न प्रकार है :-

ग्राम बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा में कुल रकबा 180-16 बीघा में अवाप्ताधीन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		भूमि का विवरण	विशेष विवरण
			बीघा	बिस्वा		
1	गुलाब जी पिता हकरू भील	1421 1422 1426	1 1 0	04 04 17	का.सा.ग. 1 का.सा.ग. 2 का.सा.ग. 2	
2	करण सिंह पिता थावरा डिन्डोर भील	1449	2	0	रास्ता	
3	सरस्वती बेवा भगवती लाल, लक्ष्मीनारायण पिता मोती लाल पलकेश पिता कृपा शंकर शकुन्तला बेवा कृपा शंकर 1/4 शीला देवी बेवा शान्तीलाल ब्राह्मण बराबर	1427 1430 1432 1433 1434 1435	1 0 2 1 2 4	12 19 14 05 17 03	का. 1 बे. 1 बे.गो. 3 हल्की चरनोई ह.गो. का. गो. 2	
4	भगवती लाल, लक्ष्मीनारायण कृपा शंकर पिता मोती लाल शीला देवी बेवा शान्तीलाल ब्राह्मण हिस्सा बराबर	1488 1489 1490 1508 2783/1487	1 0 0 2 1	14 13 12 0 11	बे.गो. 3 भूरी द्वितीय रास्ता बे.गो. 1 काली चरनोई	
5.	शान्ति लाल पिता लज्जा शंकर ब्राह्मण	1431 2631/1511	0 0	08 03	बे. 1 जंगल	
6.	गुलाब पिता थावरा भील	1436 1437	2 1	01 02	का.सा.ग. 1 का. 2	
7.	मधुवाल पत्नी स्व. पंकज नागर ना. से 2486	1438	0	18	बे. 1	
8.	प्रेम कुमारी पत्नी बंशीलाल 1/3 मधु कोठारी पत्नी लक्ष्मण सिंह कोठारी 2/3	1501	0	03	बे. 1	
9.	मधु कोठारी पत्नी लक्ष्मण सिंह 18/62, प्रेम कुमारी पत्नी बन्शीलाल 16/62, अल्का पत्नी विमल कुमार 16/62 रेखा पत्नी शैलेन्द्र कुमार कोठारी 12/62	1502	3	02	बे.गो. 2	
10.	सन्तोष देवी पत्नि शम्भु लाल मईडा भील	1439	0	10	काली कदिम	
11.	वालेग पिता कचरू पटेल	1440	3	15	का.सा.ग. 1	
12.	हिरालाल पिता जुगताराम व दुर्गाशंकर पिता रूपलाल,	1441	0	13	का.ग.	

	उमियाशंकर, रामशंकर पिता बैजनाथ ब्राह्मण					
13.	शान्तीलाल, सत्यनारायण पिता लज्जाशंकर ब्राह्मण	1442 1473 1512 1519 1520 1522	2 1 2 0 0 0	19 06 12 17 12 07	का.ग. 1	
14.	सन्तोष पत्नि शम्भु मईडा, शान्ति पत्नि नानू आड जाति भील हिस्सा बराबर	1443	2	10	का. 1	
15.	लसी बेवा रमेश मान, दीपक दिनेश (ना.बा.) पिता रमेश सरपरस्तमात लसी व विडली बेवा विठला 1/18, शंकर, दिनु पिता हिरा लाटकी बेवा हीरा 1/9, नाथू पिता धूलीया 1/6, लाला पिता नगा, मोती बेवा नगा 1/6, शंकर, धूला, कचरू गोतम पिता गलजी भील 1/2 हिस्सा बराबर	1444 1450 1483	2 2 1	12 02 02	का. 1 बे.गो. 2 काली कदिम	
16.	पार्वती पत्नि पन्नालाल पंचाल	1452	2	12	बे.गो. 2	
17.	कुंकु पत्नि स्व. बेलजी तेली	1453	1	00	भूरी प्रथम	
18.	धनिया पपेट्रा हुरी पत्नि धनिया भील साकिन मण्डलेव तह. 2621 कुसलगढ़ थावर चन्द पिता बानू साकिन बांसवाड़ा गौतम लाल पिता मेघनी भील साकिन समाहिपुरा	1460 1495 1496	0 2 1	02 03 14	का. 3 बे. 1 बे. 1	
19.	कुंकु बेवा बेलजी डुंगर पिता बेलजी, महेश पिता बेलजी ना.बा. स.प. माता कुंकु 1/3, गुलाब जी, रामचन्द्र, गोविन्दा पिता नगजी, अमृत बेवा जगजी हिस्सा 1/3, नरेश पिता देवीलाल, नाथी पिता देवीलाल हिस्सा 1/3 तेली सा. देह	1461 1478 1528 1529	2 2 4 1	03 07 14 19	भूरी प्रथम का. 1 का. 1 बे. गो. 2	
20.	पुजीया पिता पुनिया भील	1462 / 1 1463 / 1	1 2	08 03	—	
21.	नाथू पिता गौतम तैली 1/3, गणेश मदन, भगवतीलाल पिता जगजी तेली 1/3 व रमेश चन्द्र कालूसिंह राजेशकुमार पिता लाला व नाथीबाई बेवा तेली 1/3	1464	5	04	बे. 1	
22.	महिपाल पिता मणीलाल तेली	1465 1469 1470 1471	1 1 0 0	18 10 05 03	बे.सा.ग.2 काली बे. 2 राकड चरनोई	
23.	कालिया पिता कानजी 1/3, रमेश पिता हुरजी, कुंकु पिता हुरजी 1/3, बिठला गोविन्दा पिता हरदार गोविन्दा ना.वा.स. प. भाई बिठला 1/3	1466	2	07	भूरी	
24.	धानिया पिता हुरता भील	1467	1	12	भूरी प्रथम	
25.	कुंकु बेवा बेलजी डुंगर पिता बेलजी, व महेश पिता बेलजी ना.वा.स.प. माता कुंकु तेली सा. देह	1468	3	05	भूरी प्रथम	
26.	बिठला हरदू धूल जी पिता रूपेंग, अमर जी परतु देवीलाल दला पिता गौतम, मनजी पिता कालीया 1/2, उँकार बदीमा नाथू पिता वागा भील	1472	0	13	का. सा. ग. 1	

	1/2					
27.	गुलाब जी, रामचन्द्र, गोविन्दा पिता नगजी, अमृत बेवा जगजी तेली	1474 1513 1514 1515	2 1 2 3	07 08 12 11	का.सा. ग.1 बें.गो.1 बेंगो -1 बे.गो.1	
28.	मानशंकर, गणेशलाल, गिरजाशंकर लक्ष्मीनारायण पिता अचतलाल 1/3 ब्राह्मण, अम्बादेवी पत्नि नारायणलाल सुथार 5/36, ईसरी देवी पत्नि सूर्यकरण पंचाल 5/36, कान्तादेवी पत्नि भरतलाल पंचाल 5/36, मंजूला देवी पत्नि मनोहर लाल 5/36, शारदा देवी पत्नि नाथूलाल पंचाल 1/18 संगीता देवी पत्नि कन्हैयालाल प्रजापत 1/18, बांसवाडा खातेदार	1475 1530	0 1	06 18	का.अ. बे.गो. 2	
29.	नर्वदा देवी पत्नि भंवरलाल, जगदीशलाल, दिनेश कुमार पिता भंवर लाल सा. देह	1481	0	09	का.पे.गे.मु.	
30.	अम्बा देवी पत्नि नारायण लाल सुथार, ईश्वरी देवी पत्नि सूर्यकरण पंचाल, कान्ता देवी पत्नि भरतलाल पंचाल, मंजूला देवी पत्नि मनोहरलाल शारदा देवी पत्नि नाथूलाल पंचाल, संगीता देवी पत्नि कन्हैयालाल प्रजापत	3396/1481	0	19	का.पे.गे.मु.	
31.	शकुन्तला देवी पत्नी बहादुरसिंह	1477/1	0	06	का.का.	
32.	विनय कुमार पिता विजय कुमार	1477/2 1518	0 0	06 02	का. 2 काली	
33.	भेमा पिता कचरू, नेरु पिता कोदर, कुरीया पिता कुबेर पटेल	1479	4	10	का.सा.ग.1	
34.	देवीलाल पिता नाथू जी कलाल	1480	1	03	का. 1	
35.	कैलाश पिता सरदार भील, शंभु पिता खातुभील श्री मईडा	1486 1511 2622/1511	1 0 0	11 02 06	काली चरनोई काली चरनोई काली चरनोई	
36.	श्रीमती कैलाश पत्नि कैलाश चन्द भील 1/4, अनिता पत्नि भैरूलाल (पालीवाल) 1/4, राधा पुत्री वेलजी भील 1/4, प्रभुलाल पिता केला जी भील 1/4	2784/1487 1482	0 1	19 08	काली कदीम काली	
37.	बिठला पिता नाथू शंकर रमेश पिता हरदार व जैव बेवा हरदार भील	1491 1493	0 1	19 12	भूरी द्वितीय राकड चरनोई	
38.	गुलाब जी पिता हकरा भील	1492 1494	1 3	00 14	राकड चरनोई	
39.	गुलाब जी पिता हकरा भील	1500 2748/1494	0 0	15 05	भूरी प्रथम राकड चरनोई	
40.	अध्यक्ष वागड वालमिकी भील समाज संस्था नामा. सं. 2341 से	3266/1500	0	03		
41.	रावजी लक्ष्मण पिता कचरू जमना बेवा कचरू 1/3, नाथी पुत्री लालू 1/3, शारदा पुत्री कालू जमना बेवा कालू 1/6, मनोहर गौतम पिता हिरा	1497	1	08	बे.गो. 2	

	बिठली बेवा हिरा 1/6 भील					
42.	शीला देवी पुत्री जीवा भील	1498 / 1	2	01	बे. तृतीय	
43.	कसर पुत्री हकरू भील	1498 / 2	2	01	बे. तृतीय	
44.	शान्ती देवी पुत्री होकमा भील	1499	2	03	खरडी	
45.	कुबेर पिता हवजी भील	1503 / 2 1504 / 2	1 0	04 19	बे.गो.1 बे.गो.1	
46.	हकरी पत्नी कान्तीलाल बडेरा भील	3037 / 1507	1	13	का.गो. 1	
47.	राधा पुत्र भेलजी भील	1509	3	03	भूरी प्रथम	
48.	खातू पिता बेस्ता 1/2 व रावजी पिता कामजी 1/2 भील	1510	2	12	खरडी	
49.	अर्जुन पुत्र पेमजी पारगी भील	1672	4	05	बे.गो. 2	
50.	रूपजी बेजा पिता नारु लाट की बेवा नारु बेजा ना.बा.सा. प. माता लाटकी 1/2, अमरा पिता हकरू 1/2 भील	1673 / 2	0	15	बे.गो. 3	
51.	भारिया, नानका कलजी पिता कोदरा व मणी बेवा कोदरा भील	1674 / 2	0	04	बे.गो.3	
52.	उँकार पिता शम्भुरा भील	1675 / 2 1676	0 0	05 09	बे.गो.3 बे.गो.3	
53.	गंगाराम पिता मनजी भील	2945 / 1675	0	10	बे.गो.3	
54.	नरु पिता कालीया भील	1677	0	04	काली चरनोई	
55.	खातुराम पिता हरीलाल बामनीया भील	2976 / 1677	1	00	काली चरनोई	
56.	वीरजी पिता धनजी भील	1662	0	07		
57.	करण सिंह पिता थावरा डिन्दोर भील	1505 1506	0 0	04 15	भूरी चरनोई रास्ता	
58.	गुलाब जी पिता हकरा भील	1507	1	00	—	
59.	गुलाब जी, रामचन्द्र, गोविन्दा पिता जगजी, अमृत बेवा जगजी तेली	1541	3	07	बे.गो.3	
60.	थावरा कोदरा पिता कालिया 2/3, जीतमल पिता चोखा लीला बेवा चोखा, लक्ष्मण बापूडा नेमा हरीश सविता पिता धनजी भील 1/3	1542	0	17	—	
61.	भगवतरीलाल, लक्ष्मीनारायण, कृपाशंकर पिता मोतीलाल, शिला देवी बेवा शान्तीलाल ब्राह्मण हिस्सा बराबर	2625 / 1671 1429	0 0	03 02	रास्ता कुँआ	
62.	शान्तीलाल पिता लज्जा शंकर ब्राह्मण	2624 / 1671	0	02	जंगल	
63.	आबादी नगर पालिका बांसवाड़ा	1420 1420 / 3350	0 1	19 07		
64.	पी.डब्ल्यू.डी.	1446 / 2	1	18		
65.	विद्यालय	1460 1462 / 2 1463 / 2	0 2 0	05 10 02		
66.	नगरपालिका, बांसवाड़ा	5407 / 1465 3408 / 1469 1484 1485 3397 / 1484 3398 / 1485	1 1 0 0 1 1	17 05 16 16 11 11		
67.	माही सिंचाई विभाग	1503 / 1 1504 / 1 1663 / 1 1674 / 1 1675 / 1	0 0 0 0 0	01 04 10 04 10		

68.	विद्यालय	1545	3	13		
		1546	2	12		
	कुल		180	16		

प्रश्नगत भूमि के अन्तर्गत धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस एवं खातेदारों को व्यक्तिगत नोटिस धारा 9(3) के जारी किये जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित खसरो के अन्तर्गत हितधारियों ने आपत्तियां प्रस्तुत की जिनकी एक प्रति सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.06.2016 प्रेषित की जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

खसरा नं. 1464 में प्रार्थी श्री गणेश लाल तेली ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि खातेदार बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, हमारे लगभग 6 परिवार इसी भूमि पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बैंक लोन लेकर बोरिंग करवाया हुआ है। हम गरीब व निर्धन परिवार से हैं। इस भूमि से हमारे गाय और भैसों का पालन कर दूध बेचकर गुजारा चला रहे हैं। यदि भूमि अवाप्त होती है तो परिवार व जानवर बेघर हो जायेंगे। अतः आपत्ति स्वीकार कर भूमि को अवाप्ति से मुक्त करें।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदार अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में धारा 9(3) के तहत क्लेम प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि खातेदार ने कोई विधिवत क्लेम प्रस्तुत नहीं किया आपत्ति प्रस्तुत की है। जिसमें उनके द्वारा भूमि को अवाप्ति से मुक्ति की प्रार्थना की गई है जो इस स्तर पर पोषणीय नहीं है। जहां तक परिवार का पालन-पोषण का प्रश्न है नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है, जिससे परिवार का पालन-पोषण किया जा सकता है।

खसरा नं. 1452, 1443, 2784/1487, 1482, 1439, 2624/1671, 2625/1671, 1429, 1427, 1430, 1432 से 1435, 1488, से 1490, 1508, 2783/1487, 1436, 1437, 1468, 1453, 1479, 1480, 1486, 1511, 2622/1511, 1449, 1440, 1672, 1464, 1474, 1513, 1514, 1515, 1461, 1468, 1541, 1467, 1466, 3396/1481, 1431, 2631/1511, 1475, 1530 में प्रार्थी कंकू व अन्य, शान्ति, सन्तोष, कैलाश, अनिता वगैरह, अनिल, सरस्वती, शीला वगैरह, गुलाब, भेमजी, देवजी, भूरालाल वगैरह, पवन, विनोद वगैरह, शंभु वगैरह, हेमेन्द्र सिंह, शारदा, रावजी रमणलाल वगैरह, अर्जुन, कलु, रमेश, राजेश, भगवती, मदन वगैरह, गुलाब जी, गोमा वगैरह, गुलाब जी, शोलिन्द्र, थानिया, कंकू पिता हरणी वगैरह, अम्बा शर्मा, कान्ता, सगीता, सारदा वगैरह, ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि नये अधिनियम 2013 के प्रभावी होने के उपरान्त एक वर्ष की अवधि में अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही नहीं की गई, जिससे कार्यवाही व्यपगत किये जाने योग्य है। प्रश्नगत भूमि पर आज भी कृषि कार्य हो रहा है। नया कानून आने के बाद भी कब्जा नहीं लिया गया, काश्तकारों का ही आधिपत्य है। प्रार्थीगण ने भी गेहूं की फसल बो रखी है। जिसका बाजार मूल्य 50 लाख रुपये प्रति बीघा है। इस कारण सम्पूर्ण अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त फरमावे जावे।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदार अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में धारा 9(3) के तहत क्लेम प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि खातेदार ने कोई विधिवत क्लेम प्रस्तुत नहीं किया मात्र आपत्ति प्रस्तुत की है। जिसमें उनके द्वारा भूमि को अवाप्ति से मुक्ति की प्रार्थना की गई है जो इस स्तर पर पोषणीय नहीं है तथा मुआवजे का निर्धारण केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 संपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत ही किया जा रहा है।

खसरा नं. 1449 में प्रार्थी श्री शंकर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी के हक में रिकार्ड में दर्ज अनुसार अधिक से अधिक मुआवजा दिलवाया जावे साथ उपरोक्त भूमि कठिन परिश्रम कर क्रय की है यदि भूमि अवाप्त की जाती है तो परिवार रोड़ पर आ जायेगा।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदार की प्रार्थना स्वीकार की जाकर रिकार्ड में दर्ज किया गया। जहां तक अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे का सम्बन्ध है जो अधिनियम के तहत नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है। जिससे परिवार का पालन-पोषण किया जा सकता है।

खसरा नं. 3397/1484, 3398/1485 में प्रार्थी श्री अम्बा देवी, नारायण लाल, वगैरह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खसरा नं. का भूखण्ड 6001.60 वर्गगज है जिस को हम समर्पित नहीं करना चाहते हैं। उक्त भूखण्ड भू राजस्व अधिनियम की धारा 90बी के तहत आवासीय में तब्दील हो चुका है, जिसको अवाप्त कराना कानूनी रूप से गलत है। अगर भूमि अवाप्त की जाती है तो हर्जा खर्चा मण्डल द्वारा वसूल किया जावेगा।

प्रकरण में दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, अपने कथन के समर्थन में कोई स्वत्व सम्बन्धि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये केवल भू-आवंटन पत्र की छाया प्रति संलग्न की है। जहां तक भूमि को अवाप्ति से मुक्ति की प्रार्थना का सम्बन्ध है जो इस स्तर पर पोषणीय नहीं है। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि उक्त भूमि विवादित होने के कारण नगद मुआवजा निर्धारण कर सक्षम न्यायालय को रेफर किया जा रहा है।

खसरा नं. 1484 व 1485 में प्रार्थी श्री जगदीश, दिनेश, नर्वदा वगैरह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खसरा नं. का भूखण्ड 3097.60 वर्गगज है जिस को हम समर्पित नहीं करना चाहते हैं। उक्त भूखण्ड भू राजस्व अधिनियम की धारा 90बी के तहत आवासीय में तब्दील हो चुका है, जिसको अवाप्त कराना कानूनी रूप से गलत है। यदि भूमि अवाप्त की जाती है तो हर्जा खर्चा मण्डल द्वारा वसूल किया जावेगा।

प्रकरण में दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, अपने कथन के समर्थन में कोई स्वत्व सम्बन्धि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। जहां तक भूमि को अवाप्ति से मुक्ति की प्रार्थना का सम्बन्ध है जो इस स्तर पर पोषणीय नहीं है। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि उक्त भूमि विवादित होने के कारण नगद मुआवजा निर्धारण कर सक्षम न्यायालय को रेफर किया जा रहा है।

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता से धारा 4(1) की अधिसूचना की दिनांक 22.03.2011 को प्रचलित भूमि की डी.एल.सी. दरों की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस व तकमीना मंगवाने हेतु आवासीय अभियन्ता को दिनांक 04.05.2012, 03.08.2012, 24.08.2012 को सूचित किया गया। जिसके जवाब में आवासीय अभियन्ता ने दिनांक 05.09.2012 को सर्वे रिपोर्ट व नक्शा प्रेषित किया। इस के उपरान्त अवार्ड निर्धारण बाबत राज्य में लागू नवीन अधिनियम की धारा 23 के तहत किये जाने हेतु धारा 4(1) की अधिसूचना दिनांक 22.03.2011 से पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान ग्राम बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र में अवाप्ताधीन भूमि की समकक्ष भूमि के लिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों के आधार पर औसत विक्रय मूल्य रखा था योजना नगर परिषद बांसवाड़ा क्षेत्राधिकार में अवस्थित है अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है की सूचना आवासीय अभियन्ता से पत्र दिनांक 20.03.2015, 16.04.2015, 26.05.2015 व 29.07.2015 व उप पंजीयक बांसवाड़ा से पत्र दिनांक 20.03.2015, 26.05.2015 व 29.07.2015

के द्वारा चाही गई। जिसके प्रत्युत्तर में आवासीय अभियन्ता ने अपने पत्र दिनांक 24.08.2015, 01.06.2016 व 04.08.2016 के द्वारा उप पंजीयक बांसवाड़ा की डी.एल.सी. दरें व नगर परिषद क्षेत्राधिकारिता बाबत सूचित किया साथ ही ये भी अवगत करवाया कि प्रकरण में दो रिट याचिकाये 833/13 पलकेश त्रिवेदी व अन्य में खसरा नं. 1427, 1429, 1430, 1432, 1433, 1434, 1435, 1438, 1488, 1489, 1490, 1508, 2025, 2783/1487 हि 1/4 व रिट याचिका संख्या 6493/13 गुलाब जी व अन्य में खसरा नं. 1421, 1422, 1426, 1492, 1494, 1500, 1507, 2748/1494 जोधपुर उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उप पंजीयक बांसवाड़ा से प्राप्त डी.एल.सी. दरे (औसत विक्रय मूल्य वर्ष 2008-09, 2010-11) निम्न प्रकार से है।

पंजीबद्ध दस्तावेजों के अनुसार जो कि (डी.एल.सी. दरो के अनुसार) न्यूनतम एवं अधिकतम प्रतिफल राशी प्रति बीघा
ग्राम बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा।

क्र. सं.	वर्ष	दर प्रति बीघा	
		रोड़ से पास	रोड़ से दूर
1.	2008-09	5,40,000	4,20,000
2.	2009-10	—	—
3.	2010-11	6,83,000	5,31,300

वर्ष 2011 की डी.एल.सी. (कृषि) दरे उप पंजीयक बांसवाड़ा के अनुसार निम्न प्रकार से है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	वर्ष	प्रति बीघा	
			रोड़ के पास	रोड़ से दूर
1.	बांसवाड़ा।	2011	6,83,000	5,31,300

दर का निर्धारण :- अधिसूचना में खातेदारों की भूमि में तीन वर्षों के पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, डी.एल.सी. के न्यूनतम/अधिकतम दरों का भी अवलोकन किया गया जो कि सम्बन्धित वर्ष की डीएलसी दरो से कम होने के कारण मुआवजा निर्धारण का आधार सम्बन्धित वर्ष 2011 को 22.03.2011 को प्रचलित डी.एल.सी. (जो 01.03.2011 को प्रचलित दर में राज्य सरकार द्वारा 09.03.2011 को 15 प्रतिशत वृद्धि करने पर) 6,10,995 रुपये प्रति बीघा बनती है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्षों का औसत विक्रय मूल्य और धारा 4(1) के समय प्रचलित डी.एल.सी. दर में जो अधिक होगा मुआवजा स्वरूप वह देय होगा। अतः मेरी राय में अवाप्ताधीन सम्पूर्ण कृषि भूमि की आवासीय योजना हेतु उपयुक्तता एवं भविष्य में होने वाले विकास तथा पौटेन्शियलटी को ध्यान में रखते हुये भू-अर्जन अधिनियम की धारा 26 में वर्णित दिग्दर्शकों के अनुसरण में तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त समस्त अवाप्ताधीन भूमि ग्राम बांसवाड़ा

जिला बांसवाड़ा का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ किया जायेगा। अतः निम्नानुसार दर निर्धारण करना उचित समझता हूँ।

1. ग्राम बांसवाड़ा :- 6,10,995/- रुपये प्रति बीघा अर्थात् 30,550/- प्रति बिस्वा।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल डूंगरपुर ने अपने पत्र दिनांक 04.08.2015 से अवगत करवाया है कि ग्राम बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा अवाप्ताधीन भूमि नगर परिषद बांसवाड़ा के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण करते समय अनुसूची प्रथम के अनुसार ग्राम बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा नगरीय क्षेत्र में होने के कारण बाजार मूल्य कारक एक से गुणित किया जावेगा इस दशा में जो निर्धारण उपरोक्तानुसार किया गया है उसी अनुसार मुआवजा देय है। उपरोक्त के अलावा शत प्रतिशत तोषण (Solatium) देय होगा।

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता द्वारा मौके पर स्थित तामीरातो/संरचनाओं का सर्वे किया जाकर प्रचलित बी.एस.आर. की दरों के आधार पर मूल्यांकन करते हुए तय किया जाता है। जबकि आवासीय अभियन्ता द्वारा प्रेषित सर्वे रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह सर्वे रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रेषित तकमीना राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः संरचनाओं का भुगतान सम्बन्धित वर्ष की प्रचलित बी.एस.आर. से वास्तविक गणना के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उक्त सूचना के अभाव में यह तय नहीं किया जा सकता कि किस खातेदार को कितना मुआवजा देय है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार विकसित भूमि प्राप्त करने वाले खातेदारों को यथास्थान भूमि नहीं दिये जाने की स्थिति में ही केवल निर्मित भवनों का मुआवजा देय होगा। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा खातेदारों को भूमि यथास्थान दी जा रही है अथवा नहीं, बाबत कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई है। इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि किस खातेदार को निर्मित भवन का मुआवजा देय होगा और किस को नहीं। अतः आवासन मण्डल अपने स्तर से तामीरातो के स्वामियों का निर्धारण कर, खातेदारों को यथास्थान भूमि नहीं दिये जाने पर ही मुआवजा का भुगतान करेगा।

मुआवजे की गणना निम्नानुसार है :-

ग्राम बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा।

क्र. सं.	वाद सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा		नगद मुआवजा/25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड	
				बीघा	बिस्वा		
1.	7(55)/06/01	गुलाब जी पिता हकरू भील निवासी भीमसौर तहसील गढ़ी खातेदार।	1421 1422 1426	1	04	30,550 प्रति बिस्वा	19,85,750
				1	04	भूमि कीमत	
				0	17	तकमीना	मण्डल के अनुसार
				3	05	योग अ	19,85,750
						100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	19,85,750
						योग अ+ब	39,71,500
						रिट याचिका संख्या 6493/13 गुलाब जी व अन्य विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्याधीन रहेगा।	
2.	7(55)/06/02	शंकर पिता हकरिया भील सा. दैह खातेदार।	1449.	2	00	30,550 प्रति बिस्वा	12,22,000
						भूमि कीमत	
						तकमीना	मण्डल के अनुसार

						योग अ	12,22,000
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	12,22,000
						योग अ+ब	24,44,000
3.	7(55)/06 /03	सरस्वती बेवा भगवती लाल 1/4 पलकेश पिता कृपाशंकर शकुन्तला बेवा कृपाशंकर हि. 1/4, लक्ष्मीनारायण पिता मोती लाल हि. 1/4 शीला देवी बेवा शान्तीलाल हि. 1/4 ब्राह्मण सा. देह खातेदार।	1427 1430 1432 1433 1434 1435	1 0 2 1 2 4	12 19 14 05 17 03	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत तकमीना योग अ 100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	82,48,500 मण्डल के अनुसार 82,48,500 82,48,500
				13	10	योग अ+ब	1,64,97,000
						रिट याचिका संख्या 833/13 पलकेश त्रिवेदी व अन्य विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्याधीन रहेगा।	
4.	7(55)/06 /04	सरस्वती बेवा भगवती लाल 1/4 लक्ष्मीनारायण पिता मोती लाल 1/4 पलकेश पिता कृपा शंकर शकुन्तला बेवा कृपा शंकर 1/4 शीला देवी बेवा शान्तीलाल 1/4 ब्राह्मण बराबर	1488 1489 1490 1508 2783/ 1487	1 0 0 2 1 6	14 13 12 00 11 10	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत तकमीना योग अ 100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	39,71,500 मण्डल के अनुसार 39,71,500 39,71,500
						योग अ+ब	79,43,000
						रिट याचिका संख्या 833/13 पलकेश त्रिवेदी व अन्य विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्याधीन रहेगा।	
5.	7(55)/06 /05	शान्ति लाल पिता लज्जा शंकर ब्राह्मण।	1431 2623/ 1511	0 0 0	08 03 11	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत तकमीना योग अ 100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	3,36,050 मण्डल के अनुसार 3,36,050 3,36,050
						योग अ+ब	6,72,100
6.	7(55)/06 /06	गुलाब पिता थावरा भील सा. देह खातेदार।	1436 1437	2 1 3	01 02 03	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत तकमीना योग अ 100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	19,24,650 मण्डल के अनुसार 19,24,650 19,24,650
						योग अ+ब	34,49,300

7.	7(55)/06 /07	मधुवाल पत्नी स्व. पंकज नागर ना. से 2486	1438	0	18	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	5,49,900
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	5,49,900
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	5,49,900
						योग अ+ब	10,99,800
						रिट याचिका संख्या 833/13 पलकेश त्रिवेदी व अन्य विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्याधीन रहेगा।	
8.	7(55)/06 /08	प्रेमकुमारी पत्नी बंशीलाल 1/3 चौबीसा जाति ब्राह्मण व मुकेश पिता सुखलाल जैन 2/3 सा. दैह खातेदार। नामा संख्या 3257 बैचान 07.06.2010	1501	0	03	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	91,650
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	91,650
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	91,650
						योग अ+ब	1,83,300
9.	7(55)/06 /09	मधु कोठारी पत्नि लक्ष्मण सिंह 4/62, मुकेश जैन पिता सुखलाल 14/62, प्रेम कुमारी पत्नी बन्शीलाल 16/62 चौबीसा ब्राह्मण अलका पत्नी विमलकुमार 16/62 ब्राह्मण निवासी नवागांव, रेखा पत्नी शैलेन्द्र कुमार 12/62 कोठारी औसवालवाडा बांसवाड़ा खातेदार नामा सं. 3257 बैचान 07.06.2010	1502	3	02	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	18,94,100
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	18,94,100
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	18,94,100
						योग अ+ब	37,88,200
10.	7(55)/06 /10	सन्तोषदेवी पत्नि शम्भुलाल मईडा भील, निवासी लौधा खातेदार।	1439	0	10	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	3,05,500
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	3,05,500
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	3,05,500
						योग अ+ब	6,11,000
11.	7(55)/06 /11	वालेंग पिता कचरू पटेल निवासी लौधा खातेदार।	1440	3	15	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	22,91,250
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	22,91,250
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	22,91,250
						योग अ+ब	45,82,500
12.	7(55)/06 /12	हिरालाल पिता जुगताराम, दुर्गाशंकर पिता रूपलाल,	1441	0	13	30,550 प्रति बिस्वा	3,97,150

		उमियाशंकर, रामशंकर पिता वैजनाथ ब्राह्मण सा. दैह खातेदार।				भूमि कीमत	
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	3,97,150
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	3,97,150
						योग अ+ब	7,94,300
13.	7(55)/06 /13	शान्तीलाल, सत्यनारायण पिता लज्जाशंकर ब्राह्मण।	1442 1473 1512 1519 1520 1522	2 1 2 0 0 0	19 06 12 17 12 07	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	52,85,150
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	52,85,150
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	52,85,150
				8	13	योग अ+ब	1,05,70,300
14.	7(55)/06 /14	सन्तोष पत्नि शम्भु मईडा निवासी छोटी सरवन व शान्ति पत्नि नानू आड जाति भील निवासी औझरिया खातेदार ब.हि.ब।	1443	2	10	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	15,27,500
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	15,27,500
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	15,27,500
						योग अ+ब	30,55,000
15.	7(55)/06 /15	लसी बेवा रमेश मान, दीपक दिनेश (ना.बा.) पिता रमेश सरपरस्तमात लसी व विडली बेवा विठला 1/18, शंकर, दिनु पिता हिरा लाटकी बेवा हीरा 1/9, नाथू पिता धूलीया 1/6, लाला पिता नगा, मोती बेवा नगा 1/6, शंकर, धूला, कचरू गोतम पिता गलजी भील 1/2 हिस्सा बराबर	1450 1444 1483	2 2 1	02 12 02	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	35,43,800
				5	16	तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	35,43,800
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	35,43,800
						योग अ+ब	70,87,600
16.	7(55)/06 /16	पार्वती पत्नि पन्नालाल पंचाल	1452	2	12	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	15,88,600
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	15,88,600
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	15,88,600
						योग अ+ब	31,77,200
17.	7(55)/06 /17	कंकु पत्नि स्व. बेलजी तेली सा. पृथ्वीगंज बांसवाडा खातेदार।	1453	1	00	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	6,11,000
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	6,11,000
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	6,11,000
						योग अ+ब	12,22,000
18.	7(55)/06 /18	धनिया पपेत्रा हुरी पत्नि धनिया भील साकिन	1460 1495	0 2	02 03	30,550	24,13,450

		मण्डलेव तह. 2621 कुसलगढ़ थावर चन्द पिता बानू साकिन बांसवाड़ा गौतम लाल पिता मेघनी भील साकिन समाहिपुरा	1496	1 3	14 19	प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	24,13,450
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	24,13,450
						योग अ+ब	48,26,900
19.	7(55)/06 /19	कुंकु बेवा बेलजी डुंगर पिता बेलजी, महेश पिता बेलजी ना.बा. स.प. माता कुंकु 1/3, गुलाब जी, रामचन्द्र, गोविन्दा पिता नगजी, अमृत बेवा जगजी हिस्सा 1/3, नरेश पिता देवीलाल, नाथी पिता देवीलाल हिस्सा 1/3 तेली सा. देह	1461 1478 1528 1529	2 2 4 1	03 07 14 19	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	68,12,650
				11	03	तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	68,12,650
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	68,12,650
						योग अ+ब	1,36,25,300
20.	7(55)/06 /20	पुंजीया पिता पुनिया भील सा. दैह खातेदार।	1462/1 1463/1	1 2 3	08 03 11	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	21,69,050
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	21,69,050
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	21,69,050
						योग अ+ब	43,38,100
21.	7(55)/06 /21	नाथू पिता गौतम तैली 1/3, गणेश मदन, भगवतीलाल पिता जगजी तेली 1/3 रमेशचन्द्र कालूसिंह, राजेशकुमार पिता लाला नाथीबाई बेवा लाला 1/3 तैली निवासी पृथ्वीगंज बांसवाड़ा खातेदार रहन युनियन बैंक आफ इन्डिया शाखा बांसवाड़ा।	1464	5	04	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	31,77,200
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	31,77,200
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	31,77,200
						योग अ+ब	63,54,400
22.	7(55)/06 /22	महिपाल पिता मणिलाल तेली निवासी पृथ्वीगंज बांसवाड़ा खातेदार।	1465 1469 1470 1471	1 1 0 0 3	18 10 05 03 16	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	23,21,800
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	23,21,800
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	23,21,800
						योग अ+ब	46,43,600
23.	7(55)/06 /23	कालिया पिता कानजी 1/3, रमेश पिता हुरजी, कुंकु पिता हुरजी 1/3, बिठला गोविन्दा पिता हरदार गोविन्दा ना. वा. स. प. भाई बिठला 1/3	1466	2	07	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	14,35,850
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	14,35,850
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	14,35,850
						योग अ+ब	28,71,700

24.	7(55)/06 /24	धानिया पिता हुस्ता भील।	1467	1	12	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	9,77,600
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	9,77,600
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	9,77,600
						योग अ+ब	19,55,200
25.	7(55)/06 /25	कँकु बेवा बेलजी स्मित सुजल पिता डूंगर अनिता बेवा डूंगर स्मित सुजल ना. बा. सर.पर. माता अनिता बेवा डूंगर महेश पिता बेलजी तेली सा. दैह खातेदार। ना.सं. 3152 बालीग 16.09.2009 नां. सं. 4471 वसीयत 02.03.2016	1468	3	05	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	19,85,750
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	19,85,750
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	19,85,750
						योग अ+ब	39,71,500
26.	7(55)/06 /26	बिठला हरदू धूल जी पिता रूपेंग, अमर जी परतु देवीलाल दला पिता गौतम, मनजी पिता कालीया 1/2, उँकार बदीमा नाथू पिता वागा भील 1/2	1472	0	13	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	3,97,150
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	3,97,150
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	3,97,150
						योग अ+ब	7,94,300
27.	7(55)/06 /27	गुलाबजी, रामचन्द्र, गोविन्द पिता जगजी, अमृत बेवा जगजी तेली सा. दैह खातेदार।	1474 1513 1514 1515	2	07	30,550	60,48,900
				1	08	प्रति बिस्वा	
				2	12	भूमि कीमत	
				3	11	तकमीना	मण्डल के अनुसार
				9	18	योग अ	60,48,900
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	60,48,900
						योग अ+ब	1,20,97,800
28.	7(55)/06 /28	रमेश चन्द महेश चन्द पिता मानशंकर पार्वती बेवा मानशंकर, दिनेश चन्द सतीश चन्द, विनोद पिता गणेशलाल, तुलसी बेवा गणेशलाल, गिरजाशंकर, लक्ष्मीनारायण पिता अचतरलाल 1/3 ब्राह्मण, अम्बादेवी पत्नि नारायणलाल सुथार 5/36, ईसरी देवी पत्नि सूर्यकरण पंचाल 5/36, कान्तादेवी पत्नि भरतलाल पंचाल 5/36 निवासी त्रिपोलिया रोड बांसवाडा, मंजूला देवी पत्नि मनोहर लाल 5/36 निवासी नवागांव शारदा देवी	1475 1530	0	06	30,550	13,44,200
				1	18	प्रति बिस्वा	
						भूमि कीमत	
				2	04	तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	13,44,200
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	13,44,200
						योग अ+ब	26,88,400

		पत्नि नाथूलाल पंचाल 1/18 निवासी सुरजपोल बांसवाडा संगीता देवी पत्नि कन्हैयालाल प्रजापत 1/18, निवासी बांसवाडा खातेदार। नामा. संख्या 3531 विरासत 12.09.2011					
29.	7(55)/06 /29	नर्बदादेवी पत्नि भंवरलाल, जगदीशलाल, दिनेशकुमार पिता भंवर लाल ब्राह्मण सा. दैह खातेदार।	1481	0	09	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	2,74,950
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	2,74,950
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	2,74,950
						योग अ+ब	5,49,900
30.	7(55)/06 /30	अम्बादेवी पत्नि नारायणलाल सुथार, ईश्वरीदेवी पत्नि सूर्यकरण पंचाल, कान्ता देवी पत्नि भरतलाल पंचाल, मंजूला देवी पत्नि मनोहरलाल, शारदा देवी पत्नि नाथूलाल पंचाल संगीता देवी पत्नि कन्हैयालाल प्रजापत सा. दैह खातेदार।	3396/ 1481	0	19	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	5,80,450
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	5,80,450
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	5,80,450
						योग अ+ब	11,60,900
31.	7(55)/06 /31	शकुन्तला देवी पत्नी बहादुरसिंह निवासी उपलाघण्टाला तहसील व जिला बांसवाडा खातेदार।	1477/1	0	06	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	1,83,300
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	1,83,300
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,83,300
						योग अ+ब	3,66,600
32.	7(55)/06 /32	विनय कुमार पिता विजयकुमार निवासी उपलाघण्टाला खातेदार।	1477/2 1518	0 0 0	06 02 08	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	2,44,400
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	2,44,400
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	2,44,400
						योग अ+ब	4,88,800
33.	7(55)/06 /33	भेमा पिता कचरु, नेरु पिता कोदर, कुरिया पिता कुबेर पटेल निवासी लौधा खातेदार।	1479	4	10	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	27,49,500
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	27,49,500
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	27,49,500
						योग अ+ब	54,99,000

34.	7(55)/06 /34	पवन कुमार विनोदकुमार बद्रीलाल पिता देवीलाल बबली बाई बेवा देवीलाल कलाल निवासी लौधा खातेदार।	1480	1	03	30,550	7,02,650
						प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	7,02,650
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	7,02,650
						योग अ+ब	14,05,300
35.	7(55)/06 /35	कैलाश पिता सरदार भील निवासी लौधा व शम्भु पिता खातु मईडा जाति भील निवासी श्यामपुरा खातेदार।	1486 1511 2622/ 1511	1	11	30,550	11,91,450
				0	02	प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
				0	06	तकमीना	मण्डल के अनुसार
				1	19	योग अ	11,91,450
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	11,91,450
योग अ+ब	23,82,900						
36.	7(55)/06 /36	श्रीमती कैलाश पत्नि कैलाशचन्द्र 1/4 भील निवासी लौधा, अनिता पत्नि भैरूलाल (पालीवाल) 1/4 भील निवासी श्यामपुरा राधा पुत्री वेलजी 1/4 भील निवासी कुशलपुरा प्रभुलाल पिता कैलाजी 1/4 जाति भील निवासी बारी (कलिंजरा) तहसील बागीदौरा खातेदार।	2784/ 1487 1482	0	19	30,550	14,35,850
				1	08	प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
				2	07	तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	14,35,850
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	14,35,850
						योग अ+ब	28,71,700
37.	7(55)/06 /37	विठला पिता नाथू शंकर रमेश पिता हरदारिया जेवं बेवा हरदारिया भील सा.दैह खातेदार।	1491 1493	0	19	30,550	15,58,050
				1	12	प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
				2	11	तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	15,58,050
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	15,58,050
						योग अ+ब	31,16,100
38.	7(55)/06 /38	गुलाब जी पिता हकरा भील	1492 1494	1	00	30,550	28,71,700
				3	14	प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
				4	14	तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	28,71,700
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	28,71,700
						योग अ+ब	57,43,400
रिट याचिका संख्या 6493/13 गुलाब जी व अन्य विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्याधीन रहेगा।							
39.	7(55)/06 /39	गुलाब जी पिता हकरा भील	1500 2748/ 1494	0	15	30,550	6,11,000
				0	05	प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
				1	00	तकमीना	मण्डल के अनुसार

685

						योग अ	6,11,000
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	6,11,000
						योग अ+ब	12,22,000
						रिट याचिका संख्या 6493/13 गुलाब जी व अन्य विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्याधीन रहेगा।	
40.	7(55)/06 /40	अध्यक्ष वागड वालमिकी भील समाज संस्थान (रजिस्टर्ड) बांसवाडा।	3266 / 1500	0	03	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	91,650
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	91,650
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	91,650
						योग अ+ब	1,83,300
41.	7(55)/06 /41	रावजी लक्ष्मण पिता कचरू जमना बेवा कचरू 1/3, नाथी पुत्री लालू 1/3, शारदा पुत्री कालू जमना बेवा कालू 1/6, मनोहर गौतम पिता हिरा बिठली बेवा हिरा 1/6 भील निवासी लौधा खातेदार।	1497	1	08	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	8,55,400
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	8,55,400
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	8,55,400
						योग अ+ब	17,10,800
42.	7(55)/06 /42	शीला देवी पुत्री जीवा भील, निवासी भीमसौर तहसील गढी खातेदार।	1498 / 1	2	01	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	12,52,500
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	12,52,500
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	12,52,500
						योग अ+ब	25,05,100
43.	7(55)/06 /43	केशर पुत्री हकरू भील निवासी भीमसौर तहसील गढी खातेदार।	1498 / 2	2	01	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	12,52,500
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	12,52,500
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	12,52,500
						योग अ+ब	25,05,100
44.	7(55)/06 /44	शान्ती देवी पुत्री होकमा भील	1499	2	03	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	13,13,650
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	13,13,650
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	13,13,650
						योग अ+ब	26,27,300

687

51.	7(55)/06 /51	भारिया, नानका कलजी पिता कोदरा व मणी बेवा कोदरा भील	1674/2	0	04	30,550	1,22,200
						प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	1,22,200
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,22,200
52.	7(55)/06 /52	ऊँकार पिता शम्भुडा भील निवासी गारिया तहसील बांसवाडा खातेदार।	1675/2 1676	0 0 0	05 09 14	30,550	4,27,700
						प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	4,27,700
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	4,27,700
53.	7(55)/06 /53	गंगाराम पिता मनजी भील	2945/ 1675	0	10	30,550	3,05,500
						प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	3,05,500
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	3,05,500
54.	7(55)/06 /54	नरु पिता कालीया भील सा. दैह खातेदार।	1677	0	04	30,550	1,22,200
						प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	1,22,200
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,22,200
55.	7(55)/06 /55	खातुराम पिता हरिलाल बामनिया भील निवासी टामटिया तहसील घाटोल खातेदार।	2976/ 1677	1	00	30,550	6,11,000
						प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	6,11,000
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	6,11,000
56.	7(55)/06 /56	विरजी पिता धनजी भील नि. अगरपुरा खातेदार।	1662	0	07	30,550	2,13,850
						प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	2,13,580
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	2,13,580
57.	7(55)/06 /57	हेमेन्द्र पिता करणसिंह डिन्डोर 1/3 हिमानी पुत्री	1505 1506	0 0	04 15	30,550	5,80,450
						प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	2,13,580
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	2,13,580

688

		करण सिंह 1/3 तनय चार्वी पिता नगेन्द्र व कल्पना बेवा नागेन्द्र 1/3 डिण्डोर जाति भील सा. दैह खातेदार। ना. सं. 4292 बालीग 12.02.2015		0	19	प्रति बिस्वा भूमि कीमत	
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	5,80,450
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	5,80,450
						योग अ+ब	11,60,900
58.	7(55)/06 /58	गुलाब जी पिता हकरा भील	1507	1	00	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	6,11,000
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	6,11,000
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	6,11,000
						योग अ+ब	12,22,000
						रिट याचिका संख्या 6493/13 गुलाब जी व अन्य विचाराधीन होने के कारण मुआवजा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अध्याधीन रहेगा।	
59.	7(55)/06 /59	गुलाब जी, रामचन्द्र, गोविन्दा पिता जगजी, अमृत बेवा जगजी तेली	1541	3	07	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	20,46,850
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	20,46,850
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	20,46,850
						योग अ+ब	40,93,700
60.	7(55)/06 /60	थावरा कोदारा पिता कालिया 2/3, जीतमल पिता चोखा लीला बेवा चोखा, लक्ष्मण बापूडा नेमा हरीश सविता पिता धनजी भील 1/3	1542	0	17	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	5,19,350
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	5,19,350
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	5,19,350
						योग अ+ब	10,38,700
61.	7(55)/06 /61	सरस्वती बेवा भगवती लाल 1/4, पलकेश पिता कृपा शंकर, शकुंतला बेवा कृपा शंकर 1/4 लक्ष्मीनाराण पिता मोती लाल 1/4 शीला देवी बेवा शांति लाल 1/4	2625 / 1671 1429	0	03	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	1,52,750
				0	02		
				0	05	तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	1,52,750
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,52,750
						योग अ+ब	3,05,500
62.	7(55)/06 /62	शान्तीलाल पिता लज्जा शंकर ब्राह्मण।	2624 / 1671	0	02	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	61,100
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	61,100
						100प्रतिशत अनिवार्य	61,100

(68)

						अवाप्ति ब	
						योग अ+ब	1,22,200
63.	7(55)/06 /63	नगर परिषद बांसवाड़ा।	1420 1420/ 3350	0 1 2	19 07 06	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	14,05,300
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	14,05,300
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	14,05,300
						योग अ+ब	28,10,600
64.	7(55)/06 /64	सार्वजनिक निर्माण विभाग बांसवाड़ा पी.डब्ल्यू.डी. विभाग।	1446/2	1	18	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	11,60,900
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	11,60,900
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	11,60,900
						योग अ+ब	23,21,800
65.	7(55)/06 /65	श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा ना. सं. 4331 आदेश 05.06.15	1460 1462/2 1463/2	0 2 0	05 10 02	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	17,41,350
				2	17	तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	17,41,350
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	17,41,350
						योग अ+ब	34,82,700
66.	7(55)/06 /66	नगर परिषद बांसवाड़ा।	3407/ 1465 3408/ 1469 1484 1485 3397/ 1484 3398/ 1485	1 1 0 0 1 1 1 7	17 05 16 16 11 11 16	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	47,65,800
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	47,65,800
						100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	47,65,800
						योग अ+ब	95,31,600
						मुआवजा निर्धारण कर सक्षम न्यायालय को रेफर किया जा रहा है।	
67.	7(55)/06 /67	माही सिंचाई विभाग	1503/1 1504/1 1663/1 1674/1 1675/1	0 0 0 0 0	01 04 10 04 10	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	8,85,950
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	8,85,950
				1	09	100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	8,85,950
						योग अ+ब	17,71,900
68.	7(55)/06 /68	श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा।	1545 1546	3 2 6	13 12 05	30,550 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	38,18,750
						तकमीना	मण्डल के अनुसार
						योग अ	38,18,750
						100प्रतिशत	38,18,750

						अनिवार्य अवाप्ति ब	
						योग अ+ब	76,67,500

क्र.सं. 2, 8, 9, 25, 34, 48, 57, 61, 65, 68 पर राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन वर्तमान जमाबन्दी में विरासत से हुए परिवर्तन एवं 22.03.2011 से पूर्व बेचान के कारण स्वीकार किया गया है।

ग्राम बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा में कुल रकबा कुल रकबा 180-16 बीघा भूमि अवाप्ताधीन है। अतः सम्पूर्ण भूमि का अवार्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत प्रेषित किया जा रहा है।

खातेदारों को उपयुक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1)ए के नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अन्तिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से भूमि पर कब्जा लेने या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले से न्यायालय में स्थगन की अवधि यदि कोई हो तो छोड़कर देय होगा साथ ही भू-अर्जन अधिनियम धारा 34 के अनुसार कब्जे की दिनांक से नहीं भुगतान की गयी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष की अवधि तक तथा 1 वर्ष के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि पर भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा जो कि मुआवजा भुगतान में देरी ना हो उपरोक्तानुसार गणना मण्डल स्तर पर की जा सकेगी।

जिन खातेदारों/हितधारियों ने 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड का विकल्प दिया है उनको राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड जिसमें 20 प्रतिशत आवासीय 5 प्रतिशत वाणिज्यिक विकसित भूखण्ड खातेदार की अवाप्त की जाने वाली भूमि में या उस योजना में जिसके लिए भूमि अवाप्त की गई है, में ही आवंटन किया जा सकेगा। यदि अवाप्तशुदा भूमि के बदले आवासीय भूमि का आवंटन उसी स्थान पर किया जाता है तो प्रार्थी को निर्मित भवनों का मुआवजा अलग से देय नहीं होगा। उसी योजना में किन्हीं अन्य स्थान पर भूमि आवंटन किए जाने की स्थिति में निर्मित भवनों का अलग से मुआवजा सम्बन्धित बी.एस.आर. से देय होगा। कुआ वृक्ष इत्यादि का मुआवजा देय नहीं होगा।

संरचनाओं (स्थायी व अस्थायी निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता से प्राप्त तकमीना रिपोर्ट जो कि प्रचलित बी.एस.आर. की दरों पर आधारित होती है के अनुसार तय की जाती है जिसकी गणना पृथक से आवासन मण्डल द्वारा की जावेगी। इसी प्रकार भूमि पर स्थित सभी प्रकार के वृक्षों बड़े, मध्यम व छोटी श्रेणी के लिये क्रमशः 1500, 1000, 500 प्रति नग के हिसाब से दिया जाना प्रस्तावित हैं लेकिन यदि खातेदार मुआवजा नहीं लेकर पेड़ ले जाना चाहे तो उन्हें यह विकल्प दिया जा रहा है। यदि कोई स्ट्रक्चर्स भूमि के कब्जे से पूर्व खातेदार द्वारा हटा दिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर राशि वसूल की जावेगी।

मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड हितधारियों द्वारा वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरण आदि राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने की स्थिति में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही यथोचित पहचान उपरान्त दिया जावेगा। किसी हितधारी की मृत्यु होने की दशा में वारिसान में विवाद न होने पर नामान्तरण व हाल जमाबन्दी में अंकित उत्तराधिकारियों को हिस्सेनुसार मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड दिये जावेंगे, किसी सक्षम

सिविल/राजस्व/उच्चतर न्यायालय में विवाद विचाराधीन होने पर उक्त अवार्ड सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित किया जा सकेगा।

अतः भूमि का अवार्ड प्रारूप आज दिनांक 12-8-2016 को तैयार कर संयुक्त शासन सचिव, प्रथम नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।


(राजेंद्र प्रसाद यादव)
विशेषाधिकारी

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

//24//

928

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक अधिसूचना क्रमांक प.7(55)नविवि/3/06 जयपुर दिनांक 24.08.2016 के द्वारा अवाई का अनुमोदन नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया। अतः इसी के अनुरूप उक्त अवाई को सरे इजलास घोषित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 26.8.2016 को जारी किया गया।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवाई सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल किया जाकर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवाई की प्रति जरिए नोटिस सूचित किया जावे।

ह.
(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
विशेषाधिकारी

क्रमांक:-ओ.एस.डी./न.वि.वि/16/894

दिनांक:- 26-8-2016

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार, बांसवाड़ा।
4. सम्बन्धित खातेदार।
5. अवाई पत्रावली।

ह.
(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
विशेषाधिकारी

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर